

प्रस्तुत  
द्वारा आज दि. 2-2-17 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 581-5-14

प्रकरण क्र. .... / ..... / .....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री जगदीश मरकाम पिता श्री रामफल मरकाम  
(गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 12, ग्राम बरबटी तह. व जिला  
जबलपुर

विरुद्ध -

- अनावेदक -
1. श्री बारेलाल साहू उम्र 49 वर्ष पिता श्री अम्बा प्रसाद साहू  
(गैर आदिवासी) निवासी ग्राम हिनौतिया पिंडरई तह. व जिला  
जबलपुर
  2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 44/अ-21/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दि. 25/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री जगदीश मरकाम पिता श्री रामफल मरकाम (गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 12, ग्राम बरबटी तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम कुम्ही प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 219/1 रकवा 0.520 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री बारेलाल साहू उम्र 49 वर्ष पिता श्री अम्बा प्रसाद साहू (गैर आदिवासी) निवासी ग्राम हिनौतिया पिंडरई तह. व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. उक्त भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी. आवेदित भूमि शासन द्वारा पट्टे पर प्राप्त नहीं है आवेदक के साथ

05/02/17  
07/02/17




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 581-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9. 2. 17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 2-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम कूम्ही प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 219/1 रकबा 0.520 हेक्टर भूमि अनावेदक क्रमांक 1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 21-11-16 को प्रकरण पंजीबद्ध का प्रकरण दिनांक 2-1-17 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया। दिनांक 2-1-17 को कलेक्टर द्वारा पुनः प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु 23-4-17 के लिए नियत किया गया। दिनांक 2-1-17 के उपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 25-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का आवेदन दिया गया, जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण दिनांक 3-4-17 के लिए नियत किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ</p>	





K 581-5/17

जगदीश मरकाम विरूद्द बालेलाल साहु आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है। आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को कय करने को तैयार नहीं है। आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है। आवेदक की भूमि विक्रय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि कय करने की बात कह रहे हैं। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क के लिए लंबी पेशी नियत कर दी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा कय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम विसनपुरा एवं इमलई में 5.41 हेक्टर भूमि और शेष बच रही है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है। चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है। आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में</p>	

R/19

M

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 581-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>R/A</p>	<p>आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कूम्ही प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 219/1 रकबा 0.520 हेक्टर अनावेदक क्रमांक 1/ गैर आदिम जनजाति के सदस्य की निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</li> <li>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</li> <li>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाइन की मान से किया जायेगा</li> </ol> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;">             (एम0के0 सिंह)            सदस्य,            राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश            ग्वालियर         </p>	